**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर**

निर्णय सुरक्षित किया गया : 28.08.2025

निर्णय पारित किया गया : 11.09.2025

**द्वितीय अपील सं 1264/1999**

[अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सिविल अपील संख्या 75–ए/99 में पारित आज्ञप्ति तथा डिक्री दिनांक 29.7.1999 से उत्पन्न।]

श्रीमती मुक्ता सोनी पति श्री सेवक राम सोनी, निवासी ग्राम गोंडपारा बिलासपुर, तहसील और जिला बिलसापुर, छत्तीसगढ़।

**---अपीलार्थी/वादी**

**बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गोकुल प्रसाद (मृत) के विधिक प्रतिनिधि माध्यम से:

(क) श्रीमती रामकली सोनी, पति स्वर्गीय गोकुल प्रसाद , लगभग 49 वर्ष ;

(ख) कु. श्वेता सोनी, पितास्वर्गीय गोकुल प्रसाद , 30 वर्ष

(ग) सुमित सोनी, पिता स्वर्गीय गोकुल प्रसाद, लगभग 29 वर्ष;

(घ) अमित सोनी, पिता स्वर्गीय गोकुल प्रसाद , लगभग 27 वर्ष; सभी निवासी गोंड पारा, राजाराम मंदिर के सामने, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

**---उत्तरवादी/प्रतिवादी**

---

अपीलार्थी हेतु :– श्री अनूप मजूमदार, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण हेतु :--- डॉ. राजेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ पांडे, अधिवक्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत

---

**एकल पीठ .–माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश**

**सी. ए. वी. निर्णय**

1. इस न्यायालय ने 14.12.2006 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्न को सूत्रबद्ध करते हुए इस द्वितीय अपील को स्वीकार किया है:–––

**"क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि मंगल प्रसाद सोनी द्वारा 25.01.1993 को निष्पादित वसीयत एक संदिग्ध दस्तावेज थी और इससे मुक्ता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था, त्रुटिपूर्ण है?"**

(इसके बाद पक्षकारों को मुकदमे में विचारण न्यायालय के समक्ष दी गई श्रेणी तथा स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

**संक्षिप्त तथ्यः–––**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. वादग्रस्त संपत्ति मूल रूप से मंगल प्रसाद सोनी/मंगल प्रसाद सोनार की थी, जिनका निधन 07.08.1993 को हुआ था। उन्होंने यह संपत्ति 11.02.1939 को नथुलाल से खरीदी थी।मंगल प्रसाद सोनी के दो पुत्र थे – सेवक राम सोनी और गोकुल प्रसाद सोनी – जो एकमात्र प्रतिवादी हैं (जिनका निधन हो चुका है और इस दूसरी अपील में उनके कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है)।वादी मुक्ता सोनी, सेवक राम सोनी की पत्नी हैं।

3. वादी मुक्ता सोनी ने अपने ससुर मंगल प्रसाद सोनी द्वारा दिनांक 25.01.1993 को निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा (एक्स पी/ 1) के आधार पर दीवानी वाद दायर किया, जिसके अनुसार वह वसीयतकर्ता मंगल प्रसाद सोनी की बहू है और उक्त वसीयत में प्रतिवादी गोकुल प्रसाद सोनी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह वसीयतकर्ता का पुत्र था।वादी का कहना है कि उनके ससुर ने 25.01.1993 को वसीयत निष्पादित की थी, जिनकी मृत्यु 07.08.1993 को हो गई थी। ससुर की मृत्यु के बाद, उन्होंने उक्त वसीयत के आधार पर बिलासपुर नगर निगम के समक्ष म्यूटेशन के लिए आवेदन किया, जिसका प्रतिवादी गोकुल प्रसाद सोनी ने विरोध किया। इसके बाद नगर निगम ने 20.03.1996 के अपने आदेश द्वारा वादी को संबंधित सिविल न्यायालय से स्वामित्व का निर्णय कराने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए उपरोक्त दीवानी वाद दायर किया गया।

4. वादी द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि वसीयतनामा (एक्स पी/1) के आधार पर वह वाद संपत्ति की वास्तविक स्वामी है और प्रतिवादी का वाद संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी का निरंतर कब्जा अनधिकृत है, इसलिए वादी स्वामित्व की घोषणा और कब्जे के लिए डिक्री की हकदार है और तदनुसार, उसके पक्ष में डिक्री प्रदान की जाए।

5. प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दाखिल करते हुए अन्य बातों के साथ यह कहा कि वादित संपत्ति उसके पिता मंगल प्रसाद सोनी की संयुक्त परिवार संपत्ति है और उस पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसका कभी विभाजन नहीं हुआ और मंगल प्रसाद सोनी के पक्ष में दिनांक 25.01.1993 की कोई वसीयत (एक्स पी/1) निष्पादित नहीं की गई है, क्योंकि मंगल प्रसाद सोनी 1985 से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और तब से उनकी स्मृति कमजोर हो गई थी।यह भी कहा गया कि मंगल प्रसाद सोनी अंग्रेजी लिखना नहीं जानते थे और वे एक्स डी/1 में दर्शाए अनुसार हिंदी में हस्ताक्षर करते थे।आगे यह तर्क दिया गया है कि 25.01.1993 को वादी और उसके पति मंगल प्रसाद सोनी को उनके घर से यह कहकर ले गए कि वे उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए ले जा रहे हैं और धोखाधड़ी से वसीयतनामा निष्पादित करवा लिया, अतः यह संदिग्ध दस्तावेज है और इसे स्वेच्छा से निष्पादित नहीं किया गया था।यह भी तर्क दिया गया है कि कि मंगल प्रसाद सोनी प्रतिवादी के साथ रहते थे और प्रतिवादी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनकी सेवा करते थे, इसलिए प्रतिवादी को वाद संपत्ति में हिस्से से वंचित करने का कोई कारण नहीं था।इस प्रकार, वाद खारिज किए जाने के योग्य है।

6. विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, अपने दिनांक 22.08.1997 के आक्षेपित निर्णय में वसीयत पर अविश्वास व्यक्त किया गया और वसीयत से संबंधित संदिग्ध परिस्थितियों के कारण वाद को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि वसीयत लिखने वाले की जांच नहीं की गई थी, और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वसीयत की सामग्री वसीयतकर्ता को पढ़कर सुनाई गई थी; पी डब्लू 2 सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, जो वसीयत के साक्षीयों में से एक थे, यह नहीं जानते थे कि वसीयत किसने तैयार की थी और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वसीयतकर्ता की चिकित्सा जांच की गई थी या नहीं।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वसीयत से संबंधित कई संदिग्ध परिस्थितियों को वादी द्वारा दूर नहीं किया गया था और वसीयत में प्रतिवादी को बाहर करने का कोई आधार नहीं था, साथ ही वसीयतकर्ता ने वसीयत पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए थे, जबकि वह आमतौर पर हिंदी में हस्ताक्षर करता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमति जताते हुए वादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।

8. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के निर्णय और डिक्री से असंतुष्ट और व्यथित होकर, वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "सीपीसी") की धारा 100 के तहत इस न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 1264/1999 दायर की, जिसमें इस न्यायालय ने दोनों विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए एकमत निर्णय को अपास्त कर दिया और इस आधार पर वादी के पक्ष में निर्णय सुनाया कि वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज थी और वसीयत के साक्षीयों की जांच की जा चुकी थी, इसलिए वादी वाद में दावा की गई डिक्री का हकदार है।गोकुल प्रसाद के विधिक प्रतिनिधियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 928/2016 दायर की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 08.05.2025 के निर्णय और आदेश द्वारा द्वितीय अपील संख्या 1264/1999 में इस न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया गया और मामले को गुण–दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए इस न्यायालय को वापस भेज दिया और इस प्रकार इस द्वितीय अपील की सुनवाई शुरू हुई।

**पक्षों के तर्क:–––**

9. अपीलकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप मजूमदार ने प्रस्तुत किया कि दोनों गवाह सुरेश चंद्र श्रीवास्तव (पीडब्लू–2) और जयदानम (पीडब्लू–3) ने वसीयत के निष्पादन और सत्यापन को सिद्ध कर दिया है और प्रतिवादियों द्वारा कोई भी संदिग्ध परिस्थितियाँ न तो बताई गई हैं और न ही सिद्ध की गई हैं, अतः वसीयत विधि के अनुसार पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है।वे यह भी तर्क देते है कि एक्स पी/1 एक पंजीकृत वसीयत होने के कारण, इसकी प्रामाणिकता के पक्ष में प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा सकता है।अपने तर्कों के समर्थन में, **वे सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करते है :––**

**श्रीदेवी और अन्य बनाम जयराजा शेट्टी और अन्य 1, पेंटाकोटा सत्यनारायण और अन्य बनाम वी. पेंटाकोटा सीतारत्नम और अन्य 2, सावित्री और अन्य बनाम कार्थयानी अम्मा और अन्य 3, गोपाल स्वरूप बनाम कृष्ण मुरारी मंगल 4 और कल्याणस्वामी बनाम एल. बख्तवत्सलम 5।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. प्रतिवादी गोकुल प्रसाद के विधिक प्रतिनिधियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजेश पांडे ने यह तर्क दिया कि वसीयत प्रस्तुतकर्ता होने के नाते वादी दोनों निचली अदालतों द्वारा उठाए गए सभी संदिग्ध तथ्यों को दूर करने में विफल रही है, क्योंकि वसीयतकर्ता हिंदी में हस्ताक्षर करता था और वह उस दिन अर्थात 25.01.1993 को गंभीर रूप से अस्वस्थ था, इसलिए वादी और उसके पति उसे इलाज के बहाने अस्पताल ले गए और वादी के पक्ष में जाली वसीयत निष्पादित किया गया था।उन्होंने यह भी निवेदन किया कि दोनों विचारण न्यायालय ने भी उन संदिग्ध परिस्थितियों की ओर इशारा किया है जिनसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में "1925 का अधिनियम") की धारा 63 (ग) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "1925 का अधिनियम") की धारा 68 के अनुसार वसीयत के विधिवत निष्पादन और सत्यापन का प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ है।उन्होंने आगे निवेदन किया कि दोनों विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया यह सर्वसम्मत निष्कर्ष कि वसीयत का निष्पादन अधिनियम, 1925 की धारा 63 (ग) और अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार नहीं हुआ है, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित एक विशुद्ध तथ्यात्मक निष्कर्ष है, और इसलिए केवल इसी आधार पर यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, **वे सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करते है कि रघुनाथ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 6, सुदामा पदने और अन्य बनाम बिहार राज्य 7** और लक्ष्मीदेवम्मा और अन्य बनाम रंगनाथ और अन्य 8।अतः, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।11.मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, ऊपर दिए गए उनके प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा अभिलेख हेतु सावधानीपूर्वक देखा है।

**चर्चा और विश्लेषण:–––**

12. यह स्वीकार किया जाता है कि वाद संपत्ति मूल रूप से मंगल प्रसाद सोनी के स्वामित्व में थी और वादी उनकी बहू हैं, तथा प्रतिवादी गोकुल प्रसाद मंगल प्रसाद के पुत्र थे, जिनकी इस न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई।विचारण न्यायालय ने वसीयत पर विश्वास नहीं किया और वादी द्वारा दायर दीवानी वाद को खारिज कर दिया, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर बरकरार रखा है। हालांकि, पहले दौर में इस न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया और यह मानते हुए वाद को डिक्री कर दिया कि वसीयत का निष्पादन और सत्यापन विधिवत सिद्ध हो चुका है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपास्त कर दिया।

13. इस स्तर पर, 1925 के अधिनियम की धारा 63 के साथ-साथ 1872 के अधिनियम की धारा 68 पर ध्यान देना उचित होगा।1925 के अधिनियम की धारा 63 में निम्नलिखित प्रावधान है:---

**"63. विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों का निष्पादन।—प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में कार्यरत या वास्तविक युद्ध में संलग्न सैनिक न हो, या ऐसा कोई वायुसैनिक न हो जो इस प्रकार कार्यरत या संलग्न हो, या समुद्र में कोई नाविक न हो, अपनी वसीयत को निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा:---**

**(क) वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा, या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।**

**(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न, या उसकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, इस प्रकार किए जाएंगे कि यह स्पष्ट हो जाए कि उनका उद्देश्य वसीयत के रूप में लिखित दस्तावेज को प्रभावी बनाना था।**

**(ग) वसीयत पर दो या दो से अधिक साक्षीयो द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते हुए देखा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या चिह्न, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की हो; और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय में उपस्थित हों, और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा।"**

14. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 निम्नानुसार प्रदान करती है:---

**"68. विधि द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण।—यदि किसी दस्तावेज़ को विधि द्वारा सत्यापित करवाना अनिवार्य है, तो उसे तब तक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक साक्ष्य को उसके निष्पादन को सिद्ध करने के लिए बुलाया न जाए, यदि कोई साक्षी जीवित हो, न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो:परंतु कि किसी भी दस्तावेज़ (वसीयत को छोड़कर) के निष्पादन को सिद्ध करने के लिए एक साक्षी को बुलाना आवश्यक होगा, जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 ऑफ 1908) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया हो, जब तक कि उस**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**व्यक्ति द्वारा इसके निष्पादन से स्पष्ट रूप से इनकार न किया गया हो जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया प्रतीत होता है।"**

15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार वसीयत के विधिवत निष्पादन के लिए; (1) वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर या अपना चिह्न लगाना चाहिए; (2) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि यह स्पष्ट हो कि इससे वसीयत को प्रभावी बनाने का आशय था; (3) वसीयत पर दो या दो से अधिक साक्षी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए; और (4) उक्त प्रत्येक साक्षी ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर या अपना चिह्न लगाते हुए देखा होना चाहिए और उनमें से प्रत्येक को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

**16. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने मीना प्रधान और अन्य बनाम कमला प्रधान और अन्य के मामले में,** वसीयत के सत्यापन के विधिवत निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं:---

"10. XXXXXXXXXX

i.. न्यायालय को दो पहलुओं पर विचार करना होगा; पहला, कि वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई है, और दूसरा, कि यह उसके द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत थी;

ii.इसे गणितीय सटीकता के साथ सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण मन की संतुष्टि की कसौटी को लागू किया जाना चाहिए।

iii.उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक वसीयत की आवश्यकता होती है, अर्थातः

(क) वसीयतकर्ता स्वयं वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा, या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उक्त हस्ताक्षर या चिह्न यह दर्शाएगा कि इसे वसीयत के रूप में प्रभावी बनाने का आश था;

(ख) इसे दो या दो से अधिक साक्षीयो द्वारा सत्यापित करवाना अनिवार्य है, यद्यपि सत्यापन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं है;

(ग) प्रत्येक साक्षी ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते हुए देखा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति और निर्देशानुसार वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, या वसीयतकर्ता से ऐसे हस्ताक्षरों की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की हो;

(घ) प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, हालांकि, सभी साक्षीयों की एक ही समय पर उपस्थिति आवश्यक नहीं है;

(ड)वसीयत के निष्पादन को सिद्ध करने के उद्देश्य से, कम से कम एक साक्षी , जो जीवित हो, न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो, की जांच की जाएगी;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

च. साक्षी  को न केवल वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों के बारे में बताना चाहिए, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि प्रत्येक साक्षी  ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे;

छ.यदि एक साक्षी वसीयत के निष्पादन को साबित कर सकता है, तो अन्य साक्षीयो की जांच की आवश्यकता नहीं होगी;

ज.यदि वसीयत को साबित करने के लिए जांचे गए साक्षी  में से एक वसीयत के विधिवत निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है, तो उसके साक्ष्य को पूरक करने के लिए दूसरे उपलब्ध साक्षी  को बुलाया जाना चाहिए;

झ.जब भी वसीयत के निष्पादन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो वसीयत को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर करना प्रस्तुतकर्ता का दायित्व होता है।ऐसे मामलों में, प्रस्तुतकर्ता पर प्रारंभिक दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

ञ.न्यायिक विवेक की कसौटी उन मामलों से निपटने के लिए विकसित की गई है जहाँ वसीयत के निष्पादन के दौरान संदिग्ध परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।इसमें वसीयतकर्ता की वसीयत की विषयवस्तु और उसके परिणामों, प्रकृति और प्रभाव के प्रति जागरूकता; निष्पादन के समय वसीयतकर्ता की स्वस्थ, निश्चित और विवेकपूर्ण मानसिक स्थिति और स्मृति; वसीयतकर्ता द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत का निष्पादन करना जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ट.जो धोखाधड़ी, मनगढ़ंत, अनुचित प्रभाव आदि का आरोप लगाता है, उसे यह साबित करना पड़ता है। हालाँकि, ऐसे आरोपों के अभाव में भी, यदि संदेह उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तो ऐसे संदिग्ध परिस्थितियों को ठोस और विश्वसनीय स्पष्टीकरण देकर दूर करना प्रश्नकर्ता का कर्तव्य बन जाता है।

ठ.संदिग्ध परिस्थितियाँ 'वास्तविक, प्रासंगिक और वैध' होनी चाहिए, न कि केवल 'संदेही मन की कल्पना'।

10. कोई विशेष विशेषता 'संदिग्ध' मानी जाएगी या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।कोई भी ऐसी परिस्थिति जो वैध रूप से संदेह पैदा करती हो, संदिग्ध परिस्थिति मानी जाएगी, उदाहरण के लिए, कांपते हस्ताक्षर, कमजोर दिमाग, संपत्ति का अनुचित और अन्यायपूर्ण निराकरण, वसीयतकर्ता द्वारा स्वयं वसीयत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाना जिसके तहत उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है, आदि।

11. संक्षेप में, वैधानिक अनुपालन के अलावा, व्यापक रूप से यह सिद्ध करना होगा कि (क) वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत पर हस्ताक्षर किए, (ख) निष्पादन के समय वह मानसिक रूप से स्वस्थ था, (ग) वह इसके स्वरूप और प्रभाव से अवगत था और (घ) वसीयत किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में निष्पादित नहीं की गई थी।"

**17. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरजा दत्त सिंह बनाम गंगोत्री दत्त सिंह 11 के मामले में** यह अभिनिर्धारित किया है किवे दो व्यक्ति जिन्होंने वसीयत के पंजीकरण के समय वसीयतकर्ता की पहचान की थी और उप–पंजीयक द्वारा पृष्ठांकन के नीचे अपने हस्ताक्षर किए थे, गवाह नहीं थे क्योंकि उनके हस्ताक्षर "एनिमो अटेस्टांडी" नहीं थे।इसी प्रकार, **एम.एल. अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एच. वेंकट शास्त्री एंड संस और अन्य 12 के मामले में,**संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में "1882 का अधिनियम") की धारा 3 के तहत परिभाषित सत्यापन के अर्थ पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह माना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उद्देश्य से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करता है, उदाहरण के लिए, यह प्रमाणित करने के लिए कि वह एक लेखक, पहचानकर्ता या पंजीकरण अधिकारी है, तो वह सत्यापनकर्ता गवाह नहीं है और कंडिका 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:–––

**"8. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 "सत्यापित" शब्द की परिभाषा देती है तथा इन शब्दों में है:––––**

**किसी दस्तावेज के संबंध में 'सत्यापित' का अर्थ है और यह माना जाएगा कि इसे दो या दो से अधिक साक्षीयो द्वारा सत्यापित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते हुए देखा है, या किसी अन्य व्यक्ति को निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है, या निष्पादक से अपने हस्ताक्षर या चिह्न, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है, और जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं; लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा।"**

**यह ध्यान देने योग्य है कि "प्रमाणित" शब्द, जिसे परिभाषित किया जाना है, परिभाषा के भाग के रूप में ही आता है।प्रमाणित करना किसी तथ्य की गवाही देना है।संक्षेप में, धारा 3 के अंतर्गत वैध प्रमाणीकरण की आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:(1) दो या दो से अधिक गवाहों ने निष्पादक को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते देखा हो या उनसे उनके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पुष्टि प्राप्त की हो; (2) इस तथ्य की पुष्टि करने या गवाही देने के उद्देश्य से उनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हों। यह आवश्यक है कि गवाह ने अपने हस्ताक्षर animo attestandi (प्रमाणित करने के उद्देश्य से) किए हों, अर्थात् इस बात की पुष्टि करने के उद्देश्य से कि उसने निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा है या उनसे उनके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पुष्टि प्राप्त की है।यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उद्देश्य से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करता है, उदाहरण के लिए, यह प्रमाणित करने के लिए कि वह एक लेखक, पहचानकर्ता या पंजीकरण अधिकारी है, तो वह साक्षी नहीं है।"**

18. जानकी नारायण भोइर बनाम नारायण नामदेव कदम 13 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1925 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 63(सी) और 1872 के अधिनियम की धारा 68 पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर का मात्र प्रमाण पर्याप्त नहीं है, 1925 के अधिनियम की धारा 63(सी) के अनुसार इसके सत्यापन को भी सिद्ध करना आवश्यक है और कंडिका 10 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में यह बताया गया है कि विधिवत रूप से सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज़ को कैसे सिद्ध किया जा सकता है।उक्त धारा के अनुसार, विधिवत रूप से सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज़ को तब तक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को सिद्ध करने के उद्देश्य से कम से कम एक साक्षी को न बुलाया गया हो, यदि कोई गवाह जीवित हो, न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो।इस धारा से यह निकलता है कि यदि कोई जीवित प्रमाणक साक्षी है जो साक्ष्य देने में सक्षम है तथा विधि की प्रक्रिया के अधीन है, तो कानून द्वारा प्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ को साक्ष्य में उपयोग किए जाने से पहले आवश्यक रूप से परीक्षा जानी चाहिए। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयत का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वसीयत को विधिवत तथा वैध रूप से निष्पादित किया गया था।यह केवल यह साबित करके नहीं किया जा सकता है कि वसीयत पर हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के थे, परंतु यह भी साबित करना होगा कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (सी) द्वारा आवश्यक प्रमाणन भी ठीक से किए गए थे। यह सच है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में यह नहीं कहा गया है कि दोनों या समस्त प्रमाणक साक्षीयों से परीक्षा जानी चाहिए।परंतु धारा 63 में परिकल्पित वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने हेतु कम से कम एक प्रमाणक गवाह को बुलाना पड़ता है, हालांकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 हेतु आवश्यक है कि वसीयत को कम से कम दो साक्षीयों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में प्रावधान है कि एक दस्तावेज, जो विधि द्वारा 18 तक आवश्यक है।धारा 63 में परिकल्पित वसीयत के विधिवत निष्पादन को सिद्ध करने के लिए कम से कम एक गवाह को बुलाया जाना आवश्यक है, यद्यपि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में यह आवश्यक है कि वसीयत पर कम से कम दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में यह प्रावधान है कि कोई दस्तावेज, जिस पर कानून द्वारा हस्ताक्षर करना आवश्यक है, तब तक साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक साक्षी की जांच उसके विधिवत निष्पादन को सिद्ध करने के उद्देश्य से न कर ली जाए, यदि ऐसा साक्षी जीवित है और साक्ष्य देने में सक्षम है और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है।एक तरह से, धारा 68 उन लोगों को छूट देती है जो किसी वसीयत को अदालत में साबित करना चाहते हैं, भले ही उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वसीयत पर कम से कम दो गवाहों का हस्ताक्षर अनिवार्य हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस एक साक्षी की जांच की जाती है, वह वसीयत के निष्पादन को साबित करने में सक्षम होना चाहिए।दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि एक साक्षी धारा 63 के खंड (ग) के अनुसार वसीयत के निष्पादन को सिद्ध कर सकता है, अर्थात् उसमें निर्धारित तरीके से दो साक्षी द्वारा सत्यापन, तो तीसरे साक्षी की परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षित साक्षी को अपने साक्ष्य में यह साबित करना होगा कि वसीयत का विधिवत निष्पादन हुआ था, इसके लिए उसे और दूसरे गवाह को वसीयत पर ध्यान देना होगा।यदि साक्षी द्वारा किए गए सत्यापन के अलावा, अन्य साक्षी द्वारा वसीयत के सत्यापन की आवश्यकता को भी पूरा नहीं किया जाता है, तो वसीयत कम से कम दो साक्षी द्वारा सत्यापित नहीं मानी जाएगी। इसका सीधा सा कारण यह है कि वसीयत का निष्पादन केवल वसीयतकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर करना ही नहीं है, बल्कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करना और उनका प्रमाण देना भी है। यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को सिद्ध करने के लिए जांचे गए साक्षी में से एक वसीयत के विधिवत निष्पादन को सिद्ध करने में विफल रहता है, तो दूसरे उपलब्ध साक्षी को उसके साक्ष्य को पूरक करने और उसे सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाने के लिए बुलाया जाना आवश्यक है।यदि एक साक्षी की जांच की जाती है और वह दूसरे साक्षी द्वारा वसीयत के सत्यापन को साबित करने में विफल रहता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में कमी होगी।वसीयत का विधिवत निष्पादन और सत्यापन:---

19. दिनांक 25.01.1993 की वसीयत ( प्र.पी/1) की सामग्री पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**वसीयतनामा**

**वसीयत करने वाले का नाम**

**मंगल प्रसाद सोनी उम्र 82 वर्ष पिता स्व. श्री नन्दूलाल सोनी, निवासी गोंडपारा राजाराम मंदिर के सामने, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, (म.प्र.)**

**जिसके पक्ष में वसीयत किया**

**जाना है उसका नामः–**

**श्रीमती मुक्ता सोनी उम्र 32 वर्ष पति श्री सेवकराम सोनी, निवासी गोंडपारा, राजाराम मंदिर के सामने, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर, (म.प्र.)**

**तफसील जायजादः–**

**एक किता पक्का मकान तीन मंजिला राजाराम मंदिर के सामने गोंड़पारा बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर, म.प्र. में स्थित जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है एवं एक लोहे की बड़ी तिजोरी जोकि उक्त मकान के भीतर स्थित है–**

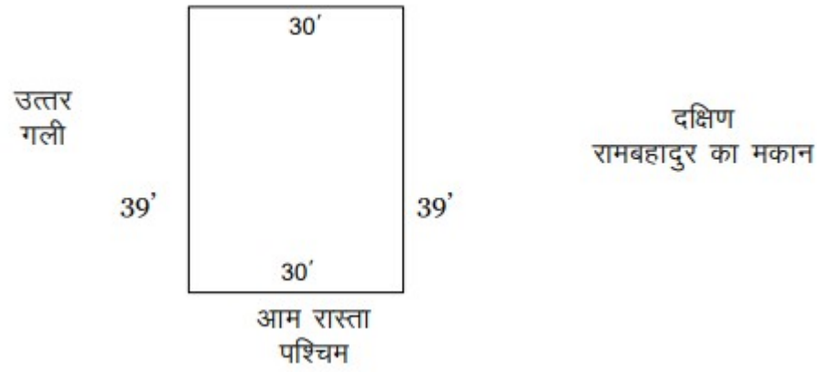


कैफियतः–

मैं अब वृद्ध हो गया हूं और कमजोर हो गया हूं। मेरी ऐसी स्थिति में मेरा बड़ा लड़का सेवकराम व मेरी बड़ी बहू श्रीमती मुक्ता सोनी मेरी सेवा–सुश्रूषा व भरण–पोषण कर रहे हैं। मेरा पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। भोजन, वस्त्र, दवा आदि की व्यवस्था करते हैं। उपरोक्त संपत्ति मैंने अपने जीवन में स्वयं के मेहनत से कमाकर बनाई है। अतः मेरे निजी स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति है। अब आगे मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिये मैं अपनी उपरोक्त संपत्ति चल व अचल को अपनी बड़ी बहू श्रीमती मुक्ता सोनी पति सेवकराम सोनी को इस वसीयतनामा के माध्यम से देता हूं। मेरे जीवन काल में उक्त संपत्ति मेरी ही होगी, मेरे मृत्यु के पश्चात् उक्त कथित संपत्ति मेरे बहू श्रीमती मुक्ता सोनी की होगी, वह उक्त जायदाद की पूर्ण स्वामिनी होगी, उसपर उसका पूर्णतः स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य होगा, उक्त संपत्ति की व्यवस्था वह स्वयं करेगी। मेरी उक्त जायदाद कहीं भी रहन, बय, बक्शीश आदि नहीं है। इसीलिये मैंने यह वसीयतनामा तहरीर कर दिया है ताकि सनद रहे वक्त पर काम आये। मैंने इस वसीयतनामा को पढ़कर व समझकर मुकाम बिलासपुर में इसपर हस्ताक्षर किया।

ड्रा. बाई– रमेश कुमार शर्मा, एडव्होकेट, बिलासपुर

दिनांक– 25.01.1993

सही/–वसीयतकर्ता

गवाह–

(1) सही/–

(2) सही/–

20. उपरोक्त वसीयत (एक्स पी/1) एक पंजीकृत वसीयत है।यह सर्वविदित है कि वसीयत का मात्र पंजीकरण वसीयत के विधिवत निष्पादन के प्रमाण की आवश्यकता से मुक्ति नहीं दिला सकता है।[देखिएः – गुरदयाल कौर बनाम करतार कौर 14]इस प्रकार, यद्यपि वसीयत (एक्स पी/1) एक पंजीकृत वसीयत है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वसीयत प्रस्तुतकर्ता को एक या अधिक गवाहों की जांच करके वसीयत के विधिवत निष्पादन को साबित करना आवश्यक है।वर्तमान मामले में, वादी की ओर से यह दावा किया गया है कि जयदानम (पीडब्ल्यू–3) और सुरेश चंद्र श्रीवास्तव (पीडब्ल्यू–2) दोनों गवाह हैं, जिन्होंने वसीयत के विधिवत निष्पादन और सत्यापन को साबित किया है।

21. जयदानम को पीडब्लू 3 के रूप में परीक्षित किया गया है, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि 25.01.1993 को मंगल प्रसाद सोनी ने अपनी वाद संपत्ति की वसीयत (एक्स पी/1) वादी के पक्ष में निष्पादित की थी और यह वसीयत रजिस्ट्रार कार्यालय में मंगल प्रसाद सोनी द्वारा निष्पादित की गई थी और उन्होंने (पीडब्लू ––3) ने गवाह के रूप में एक्स पी/1 में 'स स स' स्थान पर हस्ताक्षर किए थे।उन्होंने आगे कहा है कि उनके अलावा सुरेश चंद्र श्रीवास्तव (पीडब्लू–2) ने भी साक्षी के रूप में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।हालांकि, प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि वसीयत को वसीयतकर्ता को पढ़कर नहीं सुनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने और पीडब्लू–2 दोनों ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद वसीयतकर्ता ने वसीयत (एक्स पी/1) पर हस्ताक्षर किए थे।इस प्रकार, पीडब्लू–3 के बयान से यह स्पष्ट है कि वसीयत का निष्पादन रजिस्ट्रार कार्यालय में हुआ था और दोनों गवाहों ने पहले वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद मंगल प्रसाद सोनी ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।हालाँकि, वसीयत (एक्स पी/1) में यह भी नहीं कहा गया है कि मंगल प्रसाद सोनी ने उपरोक्त दो साक्षीयों की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इसी प्रकार, दूसरे साक्षी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव (पीडब्लू–2) ने भी कहा है कि वसीयत रजिस्ट्रार कार्यालय में मंगल प्रसाद सोनी द्वारा निष्पादित की गई थी और उन्होंने पीडब्लू 2 के रूप में वसीयत (एक्स पी1) पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय जयदानम (पीडब्लू–3) भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने भी वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।प्रति परीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि वसीयतकर्ता/वसीयत लिखने वाले ने उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर नहीं किए थे और उन्होंने यह नहीं कहा कि वसीयत मंगल प्रसाद को पढ़कर सुनाई गई थी और न ही उप–रजिस्ट्रार द्वारा मंगल प्रसाद सोनी से कोई पूछताछ की गई थी।हालांकि, प्रति परीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति में मंगल प्रसाद ने अंग्रेजी में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।

23. इस प्रकार, वसीयत के विधिवत निष्पादन और सत्यापन के संबंध में, अभिलेखों से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हैं:–

(i) वसीयत (एक्स पी/1) में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस पर वसीयतकर्ता मंगल प्रसाद सोनी ने दो गवाहों सुरेश चंद्र श्रीवास्तव (पीडब्ल्यू–2) और जयदानम (पीडब्ल्यू–3) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के बाद दो गवाहों पीडब्ल्यू–3 और पीडब्ल्यू–2 के हस्ताक्षर भी नहीं किए गए थे।

(ii) पीडब्लू–3 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे तथा पीडब्लू–2 ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।इसी प्रकार, पीडब्लू–2 ने भी कहा है कि वसीयतकर्ता ने उनकी उपस्थिति में

वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, हालांकि आगे की जिरह में उन्होंने कहा है कि वसीयतकर्ता ने उनकी उपस्थिति में अंग्रेजी में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।

(iii) वसीयत (एक्स पी/ 1) का निष्पादन रजिस्ट्रार कार्यालय में हुआ था और वसीयत पंजीकृत दस्तावेज है। इसके अलावा, दोनों साक्षीयों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मंगल प्रसाद सोनी को वसीयत की सामग्री पढ़कर नहीं सुनाई गई थी।

24. उपर्युक्त स्थापित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वसीयत (एक्स पी/1) का निष्पादन रजिस्ट्रार के कार्यालय में हुआ है और वसीयत टाइप होने के बाद, साक्षी पीडब्लू–2 और पीडब्लू–3 दोनों ने वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और उसके बाद, वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और वसीयत की सामग्री वसीयतकर्ता मंगल प्रसाद सोनी को पढ़कर नहीं सुनाई गई थी।अतः, पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 ने वसीयत के पंजीकरण के समय वसीयतकर्ता की पहचान की है और उन्होंने पंजीकरण के उद्देश्य से पहचानकर्ता के रूप में अपने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से साक्षी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके हस्ताक्षर केवल हस्ताक्षर करने के आशय से नहीं किए गए थे, क्योंकि उन्होंने (पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3) वसीयत पर पहले हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद, उनके (पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3) बयानों के अनुसार, वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।गिरजा दत्त सिंह (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, जिसका अनुसरण एम.एल. अब्दुल जब्बार साहिब (उपरोक्त) मामले में और जानकी नारायण भोइर (उपरोक्त) मामले में किया गया, दोनों साक्षीयो को साक्षी नहीं कहा जा सकता है और वैसे भी, वसीयत की सामग्री वसीयतकर्ता को पढ़कर नहीं सुनाई गई थी।अतः, वसीयत (एक्स पी/ 1) का विधिवत निष्पादन और सत्यापन विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इसके अतिरिक्त, वसीयत से संबंधित निम्नलिखित संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं:---

(i) वसीयत के लेखक की जाँच नहीं की गई थी;

(ii) यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि वसीयत की सामग्री वसीयतकर्ता को पढ़ दी गई थी;

(iii) पीडब्लू–2 सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, वसीयत के प्रमाणक साक्षीयों में से एक होने के नाते, यह नहीं जानते थे कि वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया था तथा यह नहीं जानते थे कि वसीयतकर्ता की चिकित्सा परिक्षण की गई थी या नहीं।

(iv) वसीयत में प्रतिवादी के अपवर्जन का कोई आधार नहीं था; तथा

(v) वसीयतकर्ता ने वसीयत पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए, जबकि वह आमतौर पर हिंदी में हस्ताक्षर करता था, जैसा कि एक्स डी/1 में दिखाया गया है।

26. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान के अनुच्छेद 14 में विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि वर्ष 1985 में मंगल प्रसाद सोनी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे और वे मानसिक रूप से विक्षिप्त थे तथा

असामान्य व्यवहार करते थे। उनकी स्मृति भी चली गई थी और वे सही–गलत का बोध करने में असमर्थ थे। मंगल प्रसाद सोनी की अस्वस्थता/मानसिक अक्षमता का लाभ उठाते हुए, वादी और उसके पति ने 25.01.1993 को मंगल प्रसाद सोनी को इलाज के बहाने अपने साथ ले गए और जाली वसीयतनामा निष्पादित किया गया था।।इतना ही नहीं, मंगल प्रसाद सोनी हिंदी में एक्स डी/1 के अनुसार हस्ताक्षर करते थे, जिसे प्रतिवादी ने अभिलेख  में लाया है।

27. प्रतिवादी गोकुल प्रसाद की न्यायालय के समक्ष परीक्षा की गई है।अपनी मुख्य परीक्षा के कंडिका 6 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 25.01.1993 को उनके पिता पूरी तरह अस्वस्थ थे और वादी तथा उनके भाई (वादी के पति) दोनों मंगल प्रसाद सोनी को चिकित्सा उपचार के बहाने ले गए और वसीयतनामा तैयार करवाया गया था।हालाँकि, प्रतिवादी के बयान के कंडिका 6 की सामग्री के संबंध में, इस आपत्ति के अलावा कोई जिरह नहीं की गई है कि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि मंगल प्रसाद शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे।

28. इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि मंगल प्रसाद सोनी 1985 से 25.01.1993 तक अस्वस्थ थे और उन्हें वादी और वादी के पति द्वारा 25.01.1993 को चिकित्सा उपचार के बहाने ले जाया गया था, प्रतिवादी और उसकी पत्नी रामकली द्वारा सिद्ध किया गया है।दस्तावेज एक्स डी/1, अर्थात् 11.02.1939 की विक्रय विलेख में मंगल प्रसाद सोनी/सोनार के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से हिंदी में अंकित हैं।इससे पता चलता है कि वसीयत (एक्स पी/1) का प्रस्तावक होने के नाते वादी वसीयत के उचित निष्पादन तथा सत्यापन को साबित करने में विफल रहा है, तथा यह भी साबित करने में विफल रहा है कि वसीयत (एक्स पी/1) संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय, **अर्थात् श्रीदेवी (उपरोक्त), पेंटाकोटा सत्यनारायण (उपरोक्त), सावित्री (उपरोक्त), गोपाल स्वरूप (उपरोक्त) और कल्याणस्वामी (उपरोक्त), वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।**

**निष्कर्ष:---**

30. उपरोक्त चर्चा और विश्लेषण के आलोक में, मेरे विचार में,  दो विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य संबंधी निष्कर्ष कि वादी, वसीयत प्रस्तुतकर्ता होने के बावजूद, वसीयत के विधिवत निष्पादन और सत्यापन को साबित करने में विफल रहा है और वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है, अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सही तथ्य संबंधी निष्कर्ष हैं और यह न तो विकृत है और न ही अभिलेखों के विपरीत है और इस दूसरे अपील में उक्त तथ्य संबंधी निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।अतः, मुझे इस दूसरी अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है; इसे खारिज किया जाना चाहिए और पक्षकारों को अपने–अपने खर्च वहन करने होंगे।

31. स्थापित विधि का मूल प्रश्न वादी के विरुद्ध और प्रतिवादी के पक्ष में दिया जाता है।

32. तदनुसार एक आज्ञप्ति  तैयार की जाए।

**सही/-**
**(संजय के. अग्रवाल)**
**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

***अस्वीकरणः*** *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

*प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur